



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

Published by Authority

पौष 09, शुक्रवार, शाके 1944-दिसम्बर 30, 2022  
Pausa 09 Friday, Saka 1944- December 30, 2022

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 30, 2022

संख्या प.6(96)परि/कर/मु./उर्स/10/30813 :-राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार, यह राय रखते हुए कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है एतद् द्वारा केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88(8) के अन्तर्गत जारी अनुज्ञापत्रों पर दिनांक 15.01.2023 से 05.02.2023 तक की अवधि में अन्य राज्यों से अजमेर शहर को आने/जाने वाले समस्त यात्री वाहनों के लिये 7000/- रुपये से अधिक उन करों का परिहार करती है जो राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त श्रेणी के वाहनों पर देय है ।

राज्यपाल के आदेश से,

महेन्द्र कुमार खींची,  
संयुक्त शासन सचिव।

3528

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।